न्यायालय श्रीमान् ~~अध्यक्ष~~ सदस्य ~~महोदय~~ राजस्व मण्डल ग्वालियर ﴾मध्य प्रदेश﴿

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रं0- R 4361 I-16 /2016-17, 234

01-श्रीमती हरी आदिवासी पति जानकी आदिवासी पुत्री
हल्कुवा आदिवासी उम्र 50 साल निवासी सुकवाहा
तहसील बिजावर जिला छतरपुर ﴾म.प्र.﴿

02-श्रीमती कल्लू उर्फ बसंती पति मत्थू आदिवासी पुत्री
हल्कुवा आदिवासी उम्र 38 वर्ष निवासी रामनगर
अमानगंज तहसील अमानगंज जिला पन्ना ﴾ म.प्र.﴿

03-श्रीमती शांति आदिवासी पति कल्लू आदिवासी पुत्री
हल्कुवा आदिवासी उम्र 48 वर्ष निवासी सुकवाहा
तहसील बिजावर जिला छतरपुर ﴾म.प्र.﴿ ------ आवेदकगण

आर. 06-सौम्य
दि. 27-12-16
27-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
882
27-12-16

बनाम

01-सुखलाल पिता सेवा आदिवासी निवासी ग्राम बरौहा,
तहसील अमानगंज जिला पन्ना ﴾म.प्र.﴿

02-हल्कुवा पिता श्री संदिया आदिवासी उम्र 70 वर्ष
निवासी बरौहा तहसील अमानगंज जिला पन्ना ﴾म.प्र.﴿ ------ अनावेदकगण

राजस्व निगरानी विरूद्ध राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/अपील/अ-27/वर्ष 2015-16, में पारित आदेश दिनांक 25.10.16 पारित द्वारा श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुनौर जिला पन्ना ﴾म.प्र.﴿ जिनके द्वारा विधि में बने प्रावधानों के विपरित जाकर आवेदकगण अपील म्याद के बाहर मानकर निरस्त की गई है से दुःखित होकर ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0सं0

मान्यवर,

आवेदकगण निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

01- यह कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि अनावेदक क्रमांक -1 ने तहसीलदार अमानगंज के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :– निगरानी–4361–एक/2016 जिला–पन्ना

श्रीमती हरी आदिवासी आदि विरूद्ध सुखलाल व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20–02–2019	आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुनौर, जिला–पन्ना के प्र. क्र. 1/अपील/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 20/2/2019 सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :– निगरानी–4361–एक/2016 जिला–पन्ना

श्रीमती हरी आदिवासी आदि विरूद्ध सुखलाल व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20–02–2019	आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुनौर, जिला–पन्ना के प्र. क्र. 1/अपील/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019	